# वार्षिक रिपोर्ट

## 2018-19

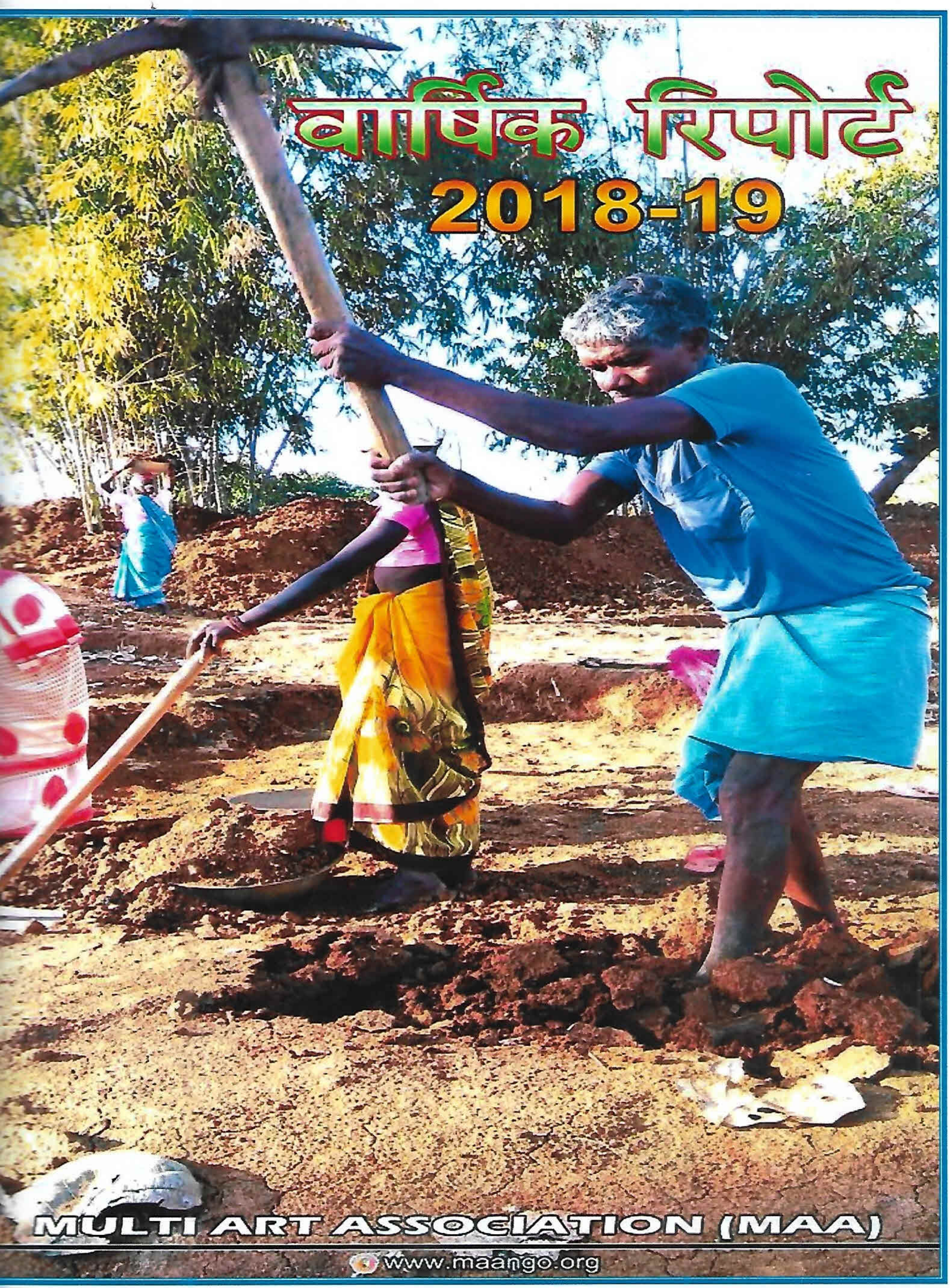

**MULTI ART ASSOCIATION (MAA)**

www.maango.org

# वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19

## –: संस्था का विजन (दृष्टि) :–

दलित–आदिवासी, महिलाओं और बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ कर एक टिकाऊ विकास की परिकल्पना करना, जिससे कि पर्यावरण, भाषा–संस्कृति, रीति–रिवाज, समाजिक संरचना, मौलिक अधिकार और मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सके और स्वस्थ्य समाज की स्थापना किया जा सके।

# संस्थागत कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

मल्टी आर्ट एसोसिएशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 21, 1860 के तहत् निबंधित एक गैर सरकारी संस्था है। संस्था निर्माण काल से ही पलामू प्रमण्डल सहित पूरे झारखंड में समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए काम करती आ रही है। उनके हक व अधिकार के प्रति लोगों को सजग कर रही है। इसके साथ ही संस्था सरकार द्वारा समन्वय स्थापित कर सरकारी कार्यक्रमों को बेहतर बनाने तथा उसका समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती रही हैं। पलामू प्रमंडल जैसे सुखाग्रस्त इलाकों में आजीविका के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है।

उसी संघर्ष से निबटने के लिए संस्था द्वारा आजीविका सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रयास शुरू किया गया है। उन्ही प्रयासों के तहत् पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले के मनिका, बरवाडीह के गारू और महुआडांड प्रखंड के करीब 10 गांवों में लाह की खेती को बढ़ावा देने उदेश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लेकर मनिका व बरवाडीह के 163 गांवों में सीधे तौर पर सीएफटी कार्य से जुड़ी है, इसके अलावे लातेहार हेरहेंज सहित अन्य प्रखंडों व गढ़वा के चिनियां, भंडरिया, बड़गड प्रखंड़, रमकंडा और रंका प्रखंड तथा पलामू के चैनपुर, पांकी, मनातू, तरहसी लेस्लीगंज व सतबरवा प्रखंड में मनरेगा के साथ–साथ ग्राम सभा सशक्तिकरण, वन अधिकार कानून 2006, खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर संस्था जिला से लेकर राज्य स्तर पर जन संवाद स्थापित कर बेहतर विकास का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित तथा उनके अंदर नेतृत्व लाने के उदेश्य से संस्था द्वारा यंग वूमेन लीडरशीप कार्यक्रम शुरू किया गया है, साथ ही साथ महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा, यौन शोषण एवं अन्य होने वाले भेद भाव पर भी कार्य कर रही है। इसके साथ संस्था पलामू प्रमंडल अधिकार आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू किया गया। संस्था जन मुद्दों को मीडिया व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा समय–समय पर उजागर करते रही है। दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के प्रचार कर उनके प्रावधानों को बजट के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास शुरू किया है। शिक्षा अधिकार कानून के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाकर बच्चों के शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करते आ रही है। वहीं सहायता केंद्र के माध्यम से नरेगा, राशन–पेंशन के मुद्दों को लेकर केंद्र के माध्यम से सहयोग करते रही है।

# संस्था का प्रोफाइल

- संस्था का नाम : मल्टी आर्ट एसोसिएशन।
- निबंधित कार्यालय : माँ भवन, पाँकी रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू (झारखण्ड)
- पत्रचार एवं/मुख्य कार्यालय : म0 सं0 153/अ/1, मुहल्ला– बुधनडीह, सुदना नियर बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड–822102
  E-mail-maa.palamu@gmail.com
  www. maango.org
- संस्था का निबंधन : सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860/177/2007–08
- निबंधन संख्या : 177/2007–08
- पैन संख्या : **AACTM9265D**
- 12A प्रमाण पत्र संख्या : **12A-79/2010-11/2153-60**
- NGO-Darpan (Uniue id of Vo/NGO) : JH/2018/0184930
- FCRA No. : **337790038**
  **FCRA बैक खाता संख्या** :– 30774140433
  शाखाः–भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
- सामान्य बैंक खाता संख्या : 1. खाता संख्या–**32401106459**
  शाखाः– भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
  2. खाता संख्या–**12588104000016940**
  शाखाः– **IDBI Bank**, डालटनगंज शाखा।
- खाता संचालन : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से जिसमें कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

## संस्था की कार्यकारिणी समिति

| क्र.सं. | नाम | पता | शैक्षणिक योग्यता | पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जितेंद्र सिंह | ग्राम–चेतमा, पो. रॉकी कला थाना–मनिका, जिला–पलामू | आई.टी.आई | अध्यक्ष |
| 2. | मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा | नियर, बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड | एम.ए.आर.डी. | सचिव |
| 3. | जेम्स हेरेंज | ग्राम–चीरो, पो0 + थाना–चंदवा जिला– लातेहार | आई.टी.आई | कोषाध्यक्ष |
| 4. | सुमंती कुजूर | ग्राम–सरनाडीह, पो0–बंसकरचा थाना–महुडडांड, लातेहार | आई. ए | सदस्य |
| 5. | नीलम खलखो | ग्राम–तम्बोली नवाडीह पो0–बसकरचा थाना–महुआडांड, लातेहार | बी.ए. | सदस्य |
| 6. | संतोष कुमार | ग्राम–बारालोटा, पो0 जीएल कॉलेज, डालटनगंज, पलामू | बी.कॉम | सदस्य |
| 7. | वीरेंद्र कुमार पासवान | ग्राम–भुडवा, पो0 कांकेकला थाना–पाटन, जिला पलामू | ग्रेजूएट | सदस्य |

## संस्था का कार्यक्षेत्र

| क्र.सं | जिला | प्रखंड | गांव की संख्या | कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लातेहार | बरवाडीह, मनिका, गारू और महुआडांड, बारियातू, हेरहंज | 180 | • सीएफटी, • वनाधिकार, • नरेगा सहायता केंद्र, • जनसंगठन व नेटवर्क • कायर्क्रम का संचालन • ग्राम सभा का सशक्तिकरण क्षमता बर्धन । |
| 2. | पलामू | मनातू, चैनपुर, रामगढ़, सतबरवा, डालटनगंज, लेस्लीगंल, पांकी और तरहसी | 50 | • लाह की खेती, • वनाधिकार • कानून, शिक्षा अधिकार कानून में • 25 प्रतिशत बजट कैंपने के साथ। • जनसंगठन व नेटवर्क कार्यक्रम • महिलाओं का कानूनी सहयोग • बच्चों को अधिकार |
| 3. | गढ़वा | मेराल व भंडरिया, बड़गड़, चिनियां, रंका, रमकन्डा | 30 | • वनाधिकार, • ग्रामसभा सशक्तिकरण, • लाह की खेती, • जन संगठन व नेटवर्क। |

## संस्था के पास मानव संसाधन

| मानव संसाधनन | पुरूष | महिला | कुल | भौतिक संसाधन | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| कार्यालय स्टॉफ फुल टाईम | 2 | 1 | 3 | कार्यालय भवन (मनिका एवं बरवडीह, डालटनगंज, ) | 3 |
| फिल्ड स्टॉफ फुल टाइम –30 पार्ट टाईम – 30 | 36 | 20 | 56 | डिजीटल कैमरा | 4 |
| कॉडिनेटर | 3 | 2 | 5 | कम्प्युटर व लैपटॉप | 4+12 |
| इंजिनियर | 4 | 0 | 4 | विडियो कैमरा | 1 |
| | | | | मोटरसाइकिल | 2 |
| | | | | टैब | 10 |
| | | | | प्रिंटर और स्कैनर | 08 |
| | | | | जमीन ट्रेनिंग सेंटर के लिए | 99 डी. |

## संस्था के नेटवर्क के माध्यम से चलाये जाने वाले

| क्र.स. | कार्यक्रम | नेटवर्क | मुद्दा | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSP and SCSP बजट कैंपेन | एन.सी.डी.एच.आर, नई दिल्ली | दलित व आदिवास उप योजना | पलामू, गढ़वा, लातेहार व झारखंड के अन्य जिले |
| 2 | वन भूमि पर सामुदायिक व व्यक्ति पट्टा का लेकर कैंपेन | झारखंड वनाधिकार मंच व मंथन युवा संस्थान कल्याण विभाग झारखंड, सरकार | वनाधिकार कानून के प्रावधान की जानकारी व जागरूकता | चतरा, गढ़वा व लातेहार |
| 3 | मनरेगा व भोजन के अधिकार अभियान का लेकर जनसंवाद व जागरूकता कार्यक्रम | नरेगा वॉच, झारखंड भोजन के अधिकार अभियान, झाखंड | मनरेगा व भोजन के अधिकार कानून व सामाजिक के सुरक्षा योजनाएं | पलामू, गढ़वा और लातेहार |
| 4 | महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के मुद्दे | AALI | महिला सशक्तिकरण, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों भेदभाव के प्रति कार्यक्रम | पलामू, गढ़वा और लातेहार |
| 5 | मजदुरों के हक अधिकारों हेतू कार्यक्रम | SLD | मजदुरों के हक अधिकारो साथ ही उनके समस्याओं के निराकरण संबंधी कार्यक्रम | पलामू, गढ़वा और लातेहार |

## संस्था द्वारा जीविकोपार्जन व अन्य मुद्दे

- नरेगा सहायता केन्द्र के माध्यम से मनरेगा के बेहत्तर क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार व वनाधिकार सहित सभी अधिकार के लिए बने कानूनों का प्रचार–प्रसार, हस्तक्षेप व जनवकालत।
- किसान समूहों के माध्याम से आम बागवानी व जैविक खेती के माध्यम से
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- गांव व स्वच्छ व स्वस्थ्य बनाने की परिकल्पना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य व जागरूकता के लिए पहल।
- प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गांव का बेतहर प्लानिंग व क्रियान्वयन ।
- ग्राम सभा के लोगों सशक्तिकरण।

## दाता संस्था व एजेंसी से संबंध

- SPWD (NRLM- CFT-MGNREGA), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।
- GGF (Golbel Green Fund)
- UUHIP
- Jharkhand Vandhikar Manch- Manthan
- Aali
- SLD and
- Forest Department

# संस्था द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रम व गतिविधियां

## CFT- MGNREGA कार्यक्रम

**कार्यक्रम का उदेश्य :–** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, JSLPS तथा एस.पी.डब्लू.डी के सहयोग से लातेहार जिला के मनिका एवं बरवाडीह प्रखंड में NRLM-CFT-MGNREGA कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य इस प्रकार है :–

- प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केन्द्रित मनरेगा योजनाओं का ग्राम सभाओं से पारित कर क्रियान्वयन करना।
- परियोजना अवधि के समाप्ति तक सभी रोजगार के इच्छुक दलित व आदिवासी परिवारों को 75 दिन रोजगार सुनिश्चित करना।
- 25 प्रतिशत अतिरिक्त आय वृद्धि सुनिश्चित कराना यह मनरेगा मजदूरी के अतिरिक्त मनरेगा परिसंपतियों के टिकाऊ निर्माण से होगी।
- कम से कम 75 प्रतिशत मजदूरी भुगतान मस्टर रॉल समाप्ति की तिथि के 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित कराना।

**उदेश्य हेतू कार्यक्रम की गतिविधियां :–**

- मनरेगा मजदूरों के साथ बैठक।
- स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक व मनरेगा को लेकर चर्चा।
- महिला मेठों के चयन व प्रशिक्षण में प्रखंड प्रशासन को मदद।
- मनरेगा मजदूर और प्रखंड प्रशासन के समन्वय स्थापित करना।
- योजनाओं के चयन व प्लानिंग में प्रखंड प्रशासन को मदद करना।
- मजदूर ग्रुप को गठन व उनके साथ मनरेगा के प्रावधानों को बताना।
- जॉब कार्ड, काम मांग, मजदूरी भुगतान से सबंधित होने वाली समस्याओं के लेकर प्रखंड प्रशासन व मजदूर के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं को निपटरा करना।
- मनरेगा प्रावधानों को लेकर मजदूरों के बीच प्रचार–प्रसार करना।
- योजनाओं का सत्यापन और क्रियान्वयन को बेहतर करने में मदद करना।
- मनरेगा योजना को लागू करने में तकनीकी मदद को पूरा करना।
- वाटर भोड आधारित प्राकृतिक संसाधनों को केंद्र में रखकर ग्राम सभा योजनाओं निर्माण तकनीकि सहयोग करना।
- प्रखंड व जिला प्रशासन के समय–समय पर प्रशिक्षण व मनरेगा के तकनीकि प्रशिक्षण देने में मदद करना।
- महिला मेठों का चयन में मदद व प्रशिक्षण।
- मजदूरों के समस्या व शिकायत प्रखंड से राज्य कराने में मदद करना।

# गतिविधियों का परिणाम

| CFT PROGRAM SUMMARY DATA APRIL 2018 to MARCH 2019 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | April to June 2018 | | July to November 2018 | | December 2018 to January 2019 | | February to March 2019 | |
| Block | Barwadih | Manika | Barwadih | Manika | Barwadih | Manika | Barwadih | Manika |
| Work demand | 787 | 380 | 79 | 1891 | 673 | 643 | 328 | 469 |
| Work allocated | 787 | 340 | 6 | 1041 | 673 | 835 | 328 | 389 |
| Job card issued | 0 | 0 | 3 | 50 | 24 | 35 | 1 | 1 |
| Bank account opened | 8 | 0 | 3 | 15 | 1 | 35 | 1 | 1 |
| VO Meeting | 0 | 0 | 30 | 18 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| SHG Meeting | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Labour Group Meeting | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meth Training | 0 | 0 | 1 Refresher | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mango Plantation Workshop | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1582 | 720 | 203 | 3088 | 1389 | 1551 | 658 | 863 |

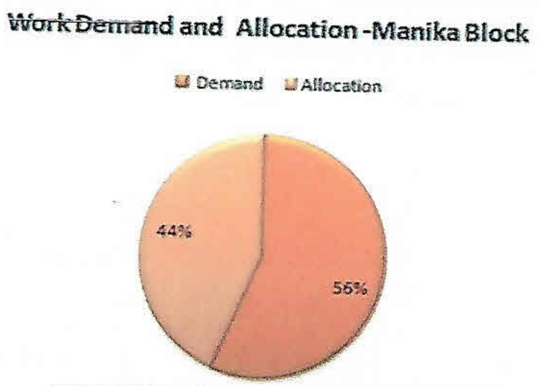


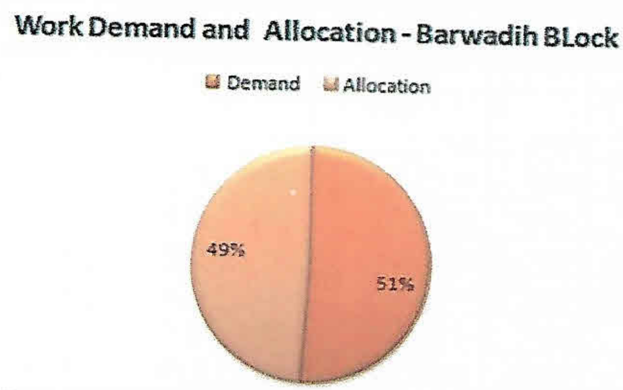


| Work Demand and Allocation | Demand | Allocation |
|---|---|---|
| Manika | 3383 | 2605 |
| Barwadih | 1867 | 1794 |

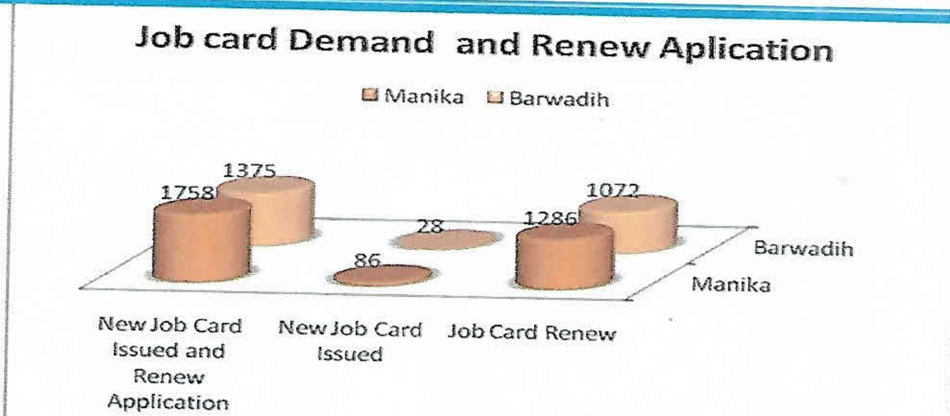

# नरेगा के अंतर्गत आजीविका के मुद्दें

**सीएफटी कार्यक्रम अंतर्गत आजीविका को लेकर बिरसा मुंडा आम बागवानी** :— मनरेगा से आजीविका को बेहतर करने तथा पर्यावरण तथा गहराते जल संकट को देखते हुए झारखंड सरकार ने बिरसा मुंडा आम बागवानी की शुरूआत की जैसे योजनाओं की शुरूआत की। इस योजना को मॉनेटरिंग करने के की जिम्मेवारी सीएफटी कार्यक्रम को दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लातेहार जिला के मनिका व बरवाडीह प्रखंड में करीब 125 एकड़ में आम बागवानी योजनाओं को ग्राम सभा से पारित कर आदिवासी व दलित समुदाय के लोगों के साथ शुरू किया गया है। मनिका प्रखंड दुन्दू, जान्हो, जुंगुर, पल्हेया, वहीं बरवाडीह प्रखंड के बेतला (अखरा), बरवडीह, मंगरा, छिपादोहर, हरातु, हरिणामाड़, आदि गांवों में अभिसरण द्वारा आम का आम बगिचा लगाने का प्रयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस बिरसा मुंडा आम बागवानी में उस गांव लोग ही मनरेगा के अंतर्गत काम करते हैं। इसमें महिलाओं को काम करने की प्राथमिकता दी जाती है। अब तक मनिका और बरवाडीह प्रखंड में कराये गये आम बागवानी का विवरण। बिरसा मुंडा आम बागवानी के पिछले तीन वर्शों के आंकेड़ :—

**NREGA- Birsa Munda Mango Plantation Data Manika and Barwadih**

| Block | Year | Total Beneficiary | Community | Area (in Acare) | Amount (In Lakha) | No Plants | Intercropping Amount | Man days | No of Patch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manika | 2016-17 | 10 | ST and PVTG | 12 | 18 | 1600 | 400 | 2400 | 2 |
| | 2017-18 | 48 | ST | 50 | 90 | 5486 | 10000 | 3800 | 12 |
| | 2018-19 | 15 | ST | 16 | 32.36 | 2106 | 50000 | 14000 | 4 |
| Barwadih | 2016-17 | 4 | ST | 8 | 9.74 | 800 | 5000 | 400 | 1 |
| | 2017-18 | 21 | ST | 17.66 | 36.26 | 1662 | 30000 | 2000 | 4 |
| | 2018-19 | 10 | ST | 3.88 | 9.14 | 555 | no Income | 500 | 3 |
| **Total** | | **108** | **0** | **107.54** | **195.5** | **12209** | **95400** | **23100** | **26** |

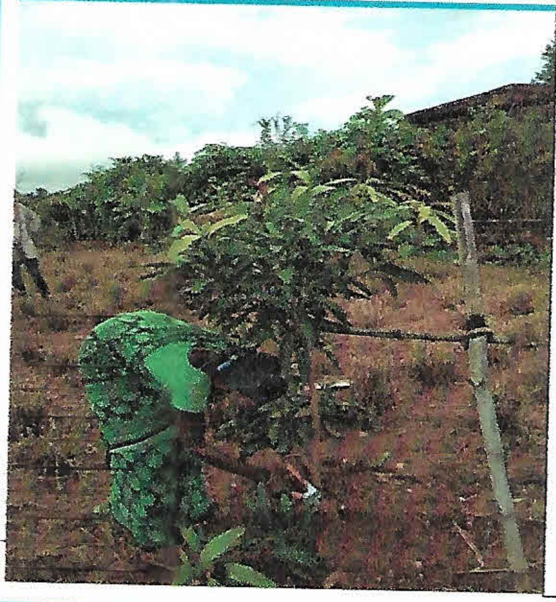

# मनरेगा अंतर्गत IWP प्लालिंग श्रम बजट की गतिविधियां की गतिविधियां

**समेकित जल प्रबंधन योजना ( IWP)** :– फरवरी 2019 में ग्रामीण विकास विभाग,झारखंड द्वारा IWP कार्यक्रम के लिए पहल की गयी जिसमे सीएफटी टीम ने प्रशासन को विभिन्न स्तर पर सहयोग किया. IWP का उद्देश्य जल प्रबंधन करना, मृदा अपरदन को रोकना एवं लोगों की आजीविका को बढ़ावा देना है.

**गांवों का चयन** :– IWP के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत से राजस्व गांवों का चयन करना था.गांवो के चयन में सीएफटी कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. गांवों का चयन नरेगा मजदूरों की उपलब्धता दलित/आदिवासी समुदाय की जन संख्या एवं टांड/परती जमीन की उपलब्धता के आधार पर किया गया.

**18 दिन के IWP प्रक्रिया निम्लीखित चरण में संपन्न हुई:** –

- गाँव में चर्चा: पहले दो दिन गाँव में चर्चा का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को गाँव में जल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण पर चर्चा की गयी.
- पैच भ्रमण: तीसरे दिन से 17वें दिन तक चोटी से घाटी तक पैच भ्रमण का कार्य किया गया. पैच भ्रमण के दौरान योजनाओं के चयन एवं उन्हें मानचित्र पर चिन्हित करने का कार्य किया गया. सभी चयनित कार्यो का मानव दिवस की गणना की गयी एवं उन जानकारियों को फोरमेट में भरा गया
- ग्राम सभा की बैठक: ग्राम सभा की बैठक में योजना की प्रक्रिया पर चर्चा की गयी एवं चयनित योजनाओं एवं लाभुकों का नाम ग्राम सभा की रजिस्टर में अंकित किया गया.

**श्रम बजट** :– श्रम बजट का उद्देश्य गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं ग्रामीणों की आजीविका की जरुरत के मुताबिक् वार्ड स्तर पर श्रम बजट एवं ग्राम विकास योजना का निर्माण है. जिसमे गाँव की टांड जमीन पर जल एवं मृदा संगरक्षण जैसे कार्य (TCB, 30X40 मॉडल इत्यादि) करना है .एवं साथ में गाँव के अति वंचित परिवारों के लिए आजीविका आधारित योजना भी लिया जाना है.। श्रम बजट के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना का निर्माण एवं उनका प्राथमिकीकरण वार्ड स्तर पर किया गया. जिसमे इस बात की शर्त थी कि एक वार्ड में अधिक से अधिक 5 लाख से 6 लाख तक का ही श्रम बजट बनाना है साथ में यह शर्त भी थी कि कुल बजट की राशि का 75 % प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन कार्य एवं शेष 25 % गाँव के अति वंचित परिवारों के आजीविका संवर्धन आधारित योजना में किया जाएगा. वार्ड स्तर पर श्रम बजट के निर्माण में सीएफटी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विभिन्न वार्ड में वार्ड सभा करवाने योजनाओं का चयन एवं अति वंचित परिवारों को चिन्हित करने का कार्य सीएफटी कार्यकर्ताओं की मदद से किया गया

# मनिका और बरवाडीह में ग्राम सभा द्वारा समेकित जल प्रबंधन योजना ( IWP) के लिए योजनाओं का चयन किया गया।

| Number of IWP schemes sanctioned by Gram Sabha- Manika Block | |
|---|---|
| Scheme | Numbers |
| Contour Trench | 11 |
| Staggered Trench | 55 |
| TCB | 57 |
| 30X40 model | 102 |
| Plantation | 25 |
| Dobha | 152 |
| Medhbandi | 231 |
| Irrigation well | 114 |
| Land labelling | 787 |
| Kacha Nala | 33 |
| LBCD | 67 |
| Gully plugging | 29 |

| Number of IWP schemes sanctioned by Gram Sabha - Barwadih Block | |
|---|---|
| Scheme | Numbers |
| Contour Trench | 20 |
| Staggered Trench | 1 |
| TCB | 98 |
| 30X40 model | 39 |
| Plantation | 18 |
| Dobha | 67 |
| Medhbandi | 34 |
| Irrigation well | 45 |
| Land labelling | 255 |
| Kacha Nala | 3 |
| LBCD | 30 |
| Gully plugging | 1 |

# सीएफटी कार्यक्रम की गतिविधियों को फोटोग्राफ

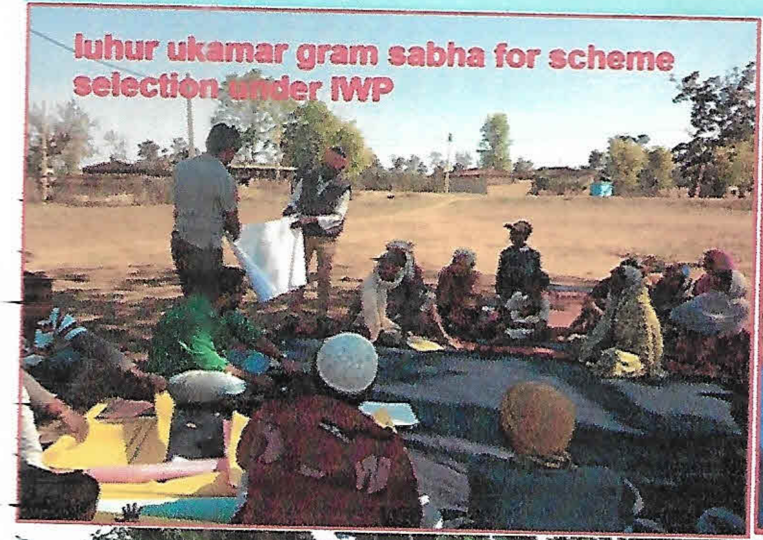

luhur ukamar gram sabha for scheme selection under IWP

VO Meeting With Woman Group

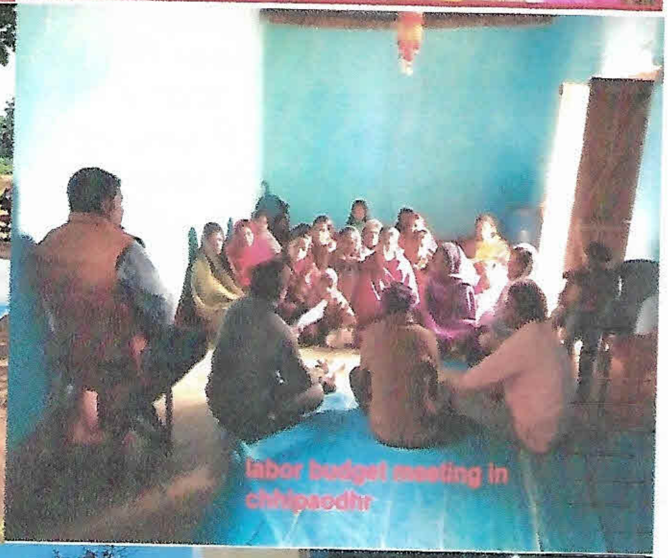

labor budget meeting in chhipaodhr

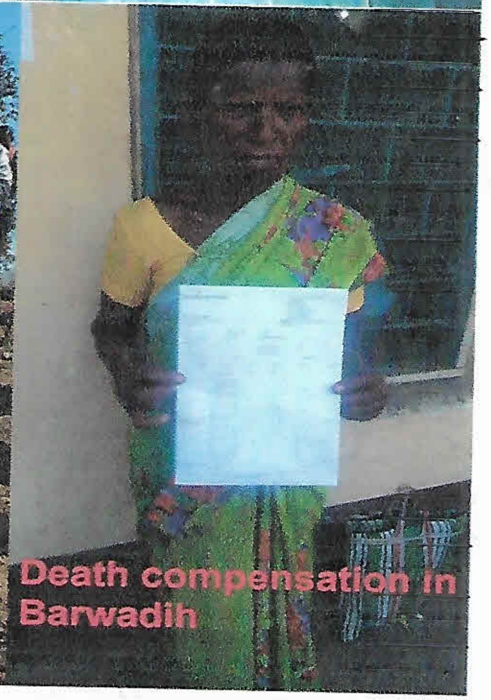

Death compensation in Barwadih

# नरेगा सहायता केंद्र व संगठनों की गतिविधियां

**नरेगा सहायता केंद्र** :— मनरेगा मजदूरों व दलित, आदिवासी, महिला, आदिम जनजाति समुदायों को मदद पहुचाने के उदेश्य को लेकर मनिका व बरवाडीह में सरकार व सीएफटी कार्यक्रम के सहयोग से नरेगा सहायता केंद्र का संचाल किया जा रहा है। जो प्रत्येक भुक्रवार व मंगलवार को केंद्र खोला जाता है, जहां महदूर पहुच कर मनरेगा मजदूरी, राशन, पेंशन जैसे तमाम योजनाओं की जानकारी व सहयोग के लिए पहुचते हैं। केंद्र के कार्यकर्ता व सीएफटी के साथी मिलकर मजदूरों को आवेदन बनाने से लेकर उन्होंने एमआइएस की भी जानकारी उपलब्ध कराते है। नरेगा सहकायता केंद्र व सयोगी संगठन ग्राम स्वराज मजदूर संघ तथा महिला अधिकार संघर्श समिति के द्वारा समय पर मजदूरों के अधिकार व उनके जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहती है, जो इस प्रकार है :—

**प्रखंड स्तरीय जनसुवाई** :— मनिका प्रखण्ड में आदिम जनजाति परिवारों को कम राशन देने का मामला सहित राशन डीलरों द्वारा गड़बडी के मामले को लेकर भोजन का अधिकार अभियान व नरेगा सहायता केंद्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में प्रदत्त अधिकारों को लेकर 08 दिसंबर 2018 को जनसुवाई का आयोजन किया गया। जनसुवाई में यह मामला भी आया कि पूरे जिले में करीब 2065 आदिम जनजाति परिवार हैं, मगर उनमें से मात्र 282 परिवारों को ही राशन मिलता है, लगभग 1823 आदिम जनजाति परिवारों को राशन से वंचित रखा जा रहा है, जो खाद्य सुरक्षा कानून का उलंघन है, जो कि डाकिया योजना के अंतर्गत प्रत्येक परहिया परिवार को 35 किलो निःशुल्क राशन देने का प्रावधान है।

**नरेगा व राशन को लेकर कार्यक्रम** :— 26 फरवरी 2018 को राँची जिले के नगड़ी प्रखण्ड में अक्टूबर 2017 से पीडीएस खाद्यान्न के बदले लाभुकों को सब्सिडी की राशि उनके खाते में देने की योजना अर्थात् प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रारंभ की गई है। योजना प्रारंभ से ही लाभुकों को अपने हिस्से का राशन लेने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भोजन का अधिकार अभियान, झारखण्ड के सदस्यों के माध्यम से लाभुकों को डीबीटी से हो रही समस्याओं का अध्ययन कराया गया था जिसमें 97 फीसदी लोगों ने डीबीटी प्रणाली को समाप्त करने की वकालत की थी। इधर लातेहार जिला मुख्यालय में मनरेगा कानून के 12 वर्ष पूरे होने पर 02 फरवरी 2018 को विभिन्न माँगों को लेकर धरना दिया गया। कार्यक्रम में मनिका एवं बरवाडीह प्रखण्ड से करीब 300 मनरेगा श्रमिक शामिल हुए।

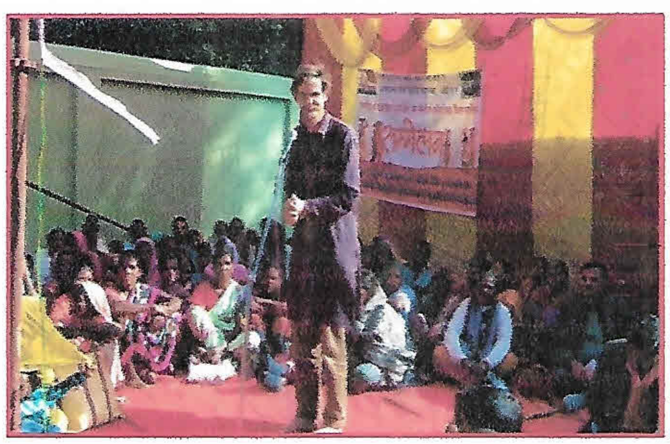

**अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस** :— अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकार संघर्ष समिति, मनिका, के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने मनिका हाई स्कूल से एक रैली निकाली एवं प्रखण्ड कार्यालय परिसर में आम सभा का आयोजन किया। रैली में शामिल महिलाएँ अपने हाथों में तख्तियाँ लिये हुई थीं। मातृत्व हक कानून लागू करने, महिलाओं पर शोषण बन्द करने, महिलाओं को सम्पूर्ण अधिकार देने आदि नारे लगाये जा रहे थे।

**मजदूर दिवस** :— 01 मई 2018 को अन्तराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ग्राम स्वराज मजदूर संघ के संयुक्त तत्वाधान में मनिका में रैली एवं सभा का आयोजन किया। करीब 300 की संख्या में मनरेगा मजदूर हाथों में कुदाल, फावड़ा तथा झण्डे लिए हुए थे। स्थानीय हाई स्कूल से एक रैली निकाली गई। वित्तीय वर्ष 2018—19 में मनरेगा मजदूरी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं किये जाने को लेकर श्रमिकों में खासी नाराजगी है। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की मांग संगठन के द्वारा किया गया।

## नरेगा सहायता केंद्र की गतिविधियां

| Sl. No. | Activities | Total No. | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Job Card Applications | 181 | |
| 2 | Work Demand Applications | 2592 | |
| 3 | Unemployment Wages Application | 32 | |
| 4 | Unemployment Wages Paid to Worker (Labour No./Amount) | 91/15849 | |
| 5 | MGNREGA Labour Death Claim Application | 3 | Payment is still pending |
| 6 | Female Mate trained | 16 | |
| 7 | Awarded to NREGA Labour who was completed 100 Days Last Yr. | 20 | 100 Work Days completed till Dec. 17 |
| 8 | Application for New PDS Card | 29 | 6 Card Issued |

# ग्राम सभा सशक्तिकरण व जागरूकता अभियान कार्यक्रम

गांव में विकास योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए ग्राम सभा को मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्राम सभा को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, गांव व गांव में रहने वाले लोगों विकास के लिए योजना बनाने, योजनाओं की निगरानी करने तथा सामजिक अंकेक्षण करना, मगर ग्राम सभा के क्षमता बर्द्धन नहीं होने के कारण गांव का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है साथ ही साथ ग्राम सभा के कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण ग्राम सभा के हाथों में जल, जंगल और जमीन दूर होते जा रही है, जिससे गांव में निवास करने वाले लोगों के समक्ष आजीविका का संकट झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण गांव लोगों को बाहर पलायन करना पड़ रहा है। ग्राम सभा को मजबुत करने के लिए संस्था द्वारा लातेहार, गढ़वा व चतरा जिले के करीब 32 गांव में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं : –

**ग्राम सभा की पुर्न स्थापना** :– 8 जनवरी, 2018 की बैठक में एक बात अहम रूप रूप से निकलकर सामने आयी थी कि चितरपुर गांव में दो संगठनों के आने से गांव में फूट पड़ गयी है. गांव एक साथ बैठ नहीं पा रहा है. फिलिप कुजूर ने कहा कि अगर 2 संगठन के आने से गांव की एकता टूटती है तो यह एक गंभीर मुद्दा है. इसपर गहन चर्चा की जानी चाहिए. हनुख लकड़ा ने कहा कि ग्राम सभा के नहीं बैठने का महत्वपूर्ण कारण है। चितरपुर ग्राम सभा का पुर्नस्थापना न होना. यहाँ पर ग्राम सभा के आठों स्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया है.अगर हम इसका गठन कर लें तो समस्या का समाधान हो जाएगा.दूसरे संगठन के लोग आते तो हैं लेकिन कभी भी ग्राम सभा के बारे में बात नहीं करते हैं. अतः 7–8 फरवरी 2018 को कोरम वाली ग्राम सभा करने पर विचार किया गया. इस महत्वपूर्ण ग्राम सभा को सफल बनाने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेवारी सौपी गयी जिसमे चितरपुर पूरब टोला से शर्मीला उरांव और प्रेम कुजुर तथा चितरपुर पश्चिम टोला से अनास्तासिया तिग्गा, अमृत मिंज, अमृत उरांव तथा मुनेश्वर जी शामिल थे.

**कोरम पूरा नहीं, बैठक स्थगित** :– 7 फरवरी को जब हम पूरब टोला स्थित सड़क किनारे महुआ पेड़ के पास पहुंचे तो काफी कम लोग जमा हो पाए थे. महिलाएं अधिक संख्या में मौजूद थीं. महिलाओं ने ही बताया कि आज स्कूल में शिक्षा प्रबंधन समिति की बैठक रखी गयी है. दुसरा कारण उनहोंने यह बताया कि आज गांव में शादी है. आफिर की टीम ने हल्की फुल्की बातें की और सभी उपस्थित लोगों से कहा कि आज बैठक नहीं होगी. कोरम पूरा नहीं हो पायेगा. आप लोग जाएँ और इस बात का प्रचार प्रसार करें कि कल 11 बजे दिन में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया है. ग्राम सभा के सदस्यों को आना जरूरी है.

**कोरम पूरा, हुई ग्राम सभा की पुर्नस्थापना की कार्यवाही** :– 8 फरवरी 2018 का ग्राम सभा इस दिन लोग सुबह से ही जुटने लगे थे. जब ग्राम सभा की कारवाही शुरू की जाने लगी तो बैठक में 167 ग्राम सभा के सदस्य मौजूद थे. ग्राम प्रधान मेसरा उरांव की अध्यक्षता में ग्राम सभा के पुर्नगठन की कार्यवाही शुरू की गयी. ग्राम प्रधान से हमने पूछा कि आप तो ग्राम सभा के परंपरागत प्रधान हैं. पहले तो मौखिक ही ग्राम सभा की कार्यवाही होती थी. लेकिन अब मौखिक परंपरा से काम नहीं चलने वाला है. आपके लिए एक लेखापाल यानी सचिव चाहिए. वह पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो ग्राम सभा के एजेंडे और उसपर लिए गए फैसले को ग्राम सभा के प्रमाणित रजिस्टर में दर्ज करेगा. आपको मदद करने के लिए और एक व्यक्ति होगा जिसका पद कोषाध्यक्ष का होगा. वह ग्राम सभा के आय व्यय का हिसाब किताब रखेगा. ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से सचिव पद के लिए हनुख लकड़ा का चयन कर लिया और कोषाध्यक्ष पद के लिए रामेश्वर उरांव जी को मनोनित किया गया तत्पश्चात ग्राम सभा के सभी स्थाई समितियों का सर्वसम्मति से चयन करना था. ग्राम सभा के सदस्यों ने बारी बारी से सभी समितियों के लिए पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव किया. ग्राम सभा के सदस्यों ने सर्वप्रथम समिति के पदाधिकारियों

और सदस्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव और समर्थन किये. समर्थित सभी उम्मीदवारों को हाथ उठाकर सर्वसम्मति से चयन कर लिया गया.

ग्राम सभा मजबूत करने की प्रक्रिया गढ़वा के बडगड़ प्रखंड अंतर्गत 20 ग्राम सभा, लातेहार जिला के महुआडांड प्रखंड 10 तथा चतरा जिला के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत 2 ग्राम सभा में 8 समितियां पूर्नगठन कर ग्राम सभा को सशक्त व मजबूत किया जा रहा है।

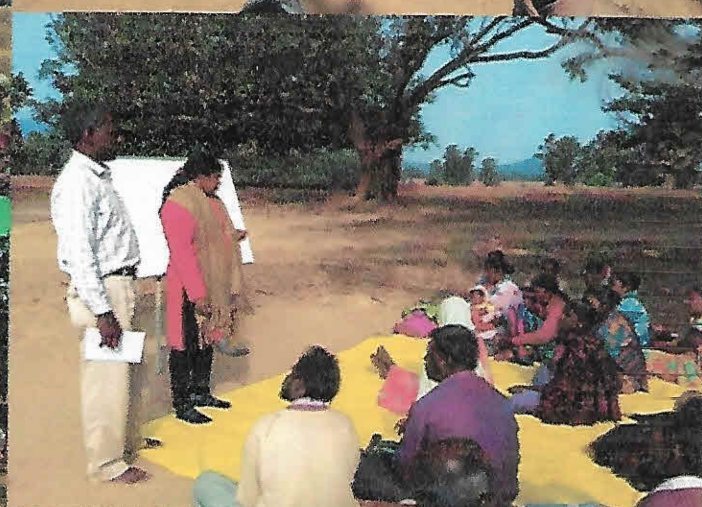

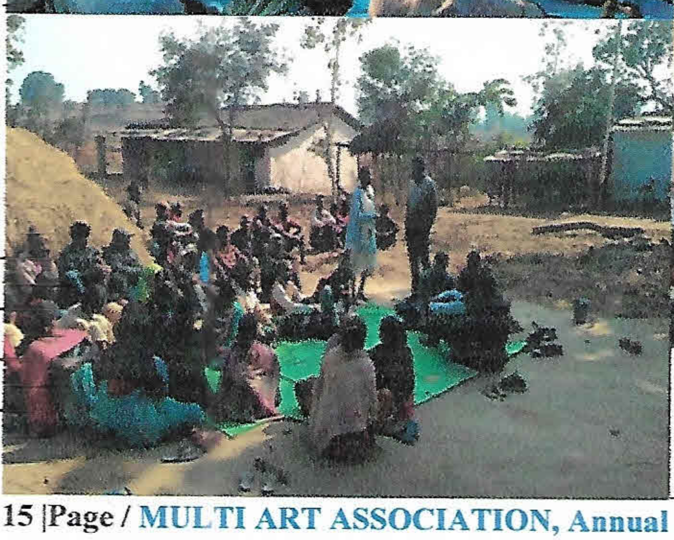

महुआडांड प्रखंड के ओरसापाट पंचायत और गढ़वा जिला के बड़गड़ प्रखंड विभिन्न गांवा में ग्राम सभा को जागरूक करने तथा तकनीकि जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयोजित बैठक व प्रशिक्षण का दृश्य।

## वनाधिकार कानून (FRA) को लेकर जागरूकता व दावा सृजन कार्यक्रम

वनाधिकार कानून 2006 को समुदाय के लोगों के बीच जागरूकता व दावा पत्रों के माध्यम से व्यक्ति व सामुदायिक अधिकार को लेकर संस्था द्वारा जीजीएफ के सहयोग से गढ़वा जिला के बरगड़ प्रखंड के 22 गांव व झारखंड वनाधिकार मंच के सहयोग से पलामू जिला के पाटन, पांकी, मनातू, लेस्लीगंज, सतबरवा, डालटनगंज सदर प्रखंड विभन्न पंचायतों में कार्यक्रम शुरू किया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनभूमि के लाभुकों को वन भूमि पर पट्टा का अधिक से अधिक सृजन करने के लिये बड़गड़ प्रखंड के सभी 22 गांवों में वनाधिकार समिति के गठन हेतु पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें वनाधिकार कानून के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी और उन्हें जंगल पर सामुदायिक अधिकार के बारे में समझायी गयी, ताकि जंगल समुदाय को अधिकार हो सके और वे अपने आजीविका के लिए इसका उपयोग कर सके। रंका प्रखंड के विभिन्न गांवों में सामुदायिक दावा के लिये पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है, इसके अलावा झारखंड वनाधिकार मंच के सहयोग से पलामू के चैनपूर, रामगढ .,पाटन, डालटनगंज सदर एवं छत्तरपुर में वन पट्टा के लिये समुदाय के लोगों को सहयोग किया जा रहा है।

**कार्यक्रम के अंतर्गत तकनिकी सहयोग :–** वन भूमि के पट्टा के लाभुकों को तकनीकि मदद के लिए नक्सा बनाना तथा नक्सा तथा नक्से हेतू जीपीएस के इस्तेमाल से संबंधित जानकारी दी जा रही है। वन भूमि के पट्टे लाभुकों के दावा पत्र में संलग्न करने हेतू फोटो आदि लेने के मदद की जा रही है। इसके साथ ही साथ नक्सा, फोरमेट डिजाइन करने तथा उससे प्रिंटिंग या फोटो कॉपी करार कर उनके उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक दावा पत्रों को सृजन किया जा सके।

**प्रभावकारी तरीके से वनाधिकार कानून को समुदाय तक पहुचाने के तरीके :–** वनाधिकार कानून 2006 को समुदाय के लोगों तक कानूनी प्रवधानों को पहुचाने के लिए वनाधिकार कानून 2006 और पेसा कानून से संबंधि कई बुकलेट, पोस्टर अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया, ताकि सामुदाय के लोगे वनाधिकार कानून 2006 कि जानकारी मिल सके। वहीं संस्था द्वारा लातेहार जिला के मनिका, बरवाडीह और पलामू जिला के विभिन्न प्रखंडों प्रचार–प्रचार के साथ मिटिंग व कार्यशाला कर वनाधिकार समिति और वन मित्रों को प्रशिक्षित किया गया, ताकि अधिक से अधिक दावा पत्रों का सृजन किया जा सके।

**सरकार के साथ समन्वय :–** वनाधिकार कानून 2006 को लागू कराने के लिए संस्था द्वारा जिला व अमनुमंडल व जिला स्तरीय समिति के साथ दावा पत्रों के लेकर लगातार जनवाकालत की जा रही है, इसके साथ ही अनुमंडल व जिला स्तरीय समिति के सदस्यों को वनाधिकार कानून 2006 के प्रावधान सहित अन्य जानकारी भी दी जा रही है, साथ ही साथ अनुमंडल स्तरीय समिति में जमा किये गये दावा पत्रों को स्वीकृती व त्रुटियां को लेकर अधिकारियों के साथ प्रखंड, अनुमंडल व जिला स्तरीय समिति तक एडवोकेसी की जा रही है।

# महिला टेक्नालॉजी इम्पावर सेंटर

महिलाओं के अधिकार आधारित कार्यक्रमों को लेकर संस्था द्वारा फेमनिस्ट अपरोच टू टेकनालॉजी और ओक फाउंडेशन के सहयोग से चलाये जा रहे केंद्र को वित्तीय सहयोग समाप्त होने के बाद संस्था अपने कोर फंड से महिला तकनिक सशक्तिकरण केंद्र के रूप शुरू किया गया। यह कार्यक्रम पलामू जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत मेदिनीनगर के अंतर्गत आने वाले गांव सिंगरा, जोड़, निममियां, पोखराह और आसपास के गांव के युवा लड़िकियों को सेंटर से जोड़ा गया है।

युवा लड़कियों को महिला तकनिक सशक्तिरण केंद्र के कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14–25 उम्र लड़ियों के बीच नेतृत्व व उनका क्षमता बढ़ाने के उदेश्य को लेकर 40 लड़कियों के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम के संस्था के प्रधान कार्यालय के प्रशिक्षण हॉल शुरूआत की गयी है। इस सेंटर वैसी लड़कियों को मौका दिया गया है, जो समाज के कमजोर वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर है, इन लड़कियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने टेक्नालॉजी से अवगत कराने का प्रयास किया रहा है, साथ खास कर हमारे समाज में लडक़ियों के शिक्षा की जब बात आती है, तो शिक्षा का लेकर भेद–भाव किया गया है इसी समस्या को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इसके साथ ही साथ लडकियों को उनके अधिकारों को लेकर समय–समय पर कार्यशाला कर उन्हें उनके अधिकार की बातें बतायी जा रही, ताकि लड़कियों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। इसके लिए कम्प्यूटर कोर्स ऐसा बनाया गया कि उन्हें आजीविका के साथ स्वावलंबी भी बनने में मदद मिलेगी, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकें।

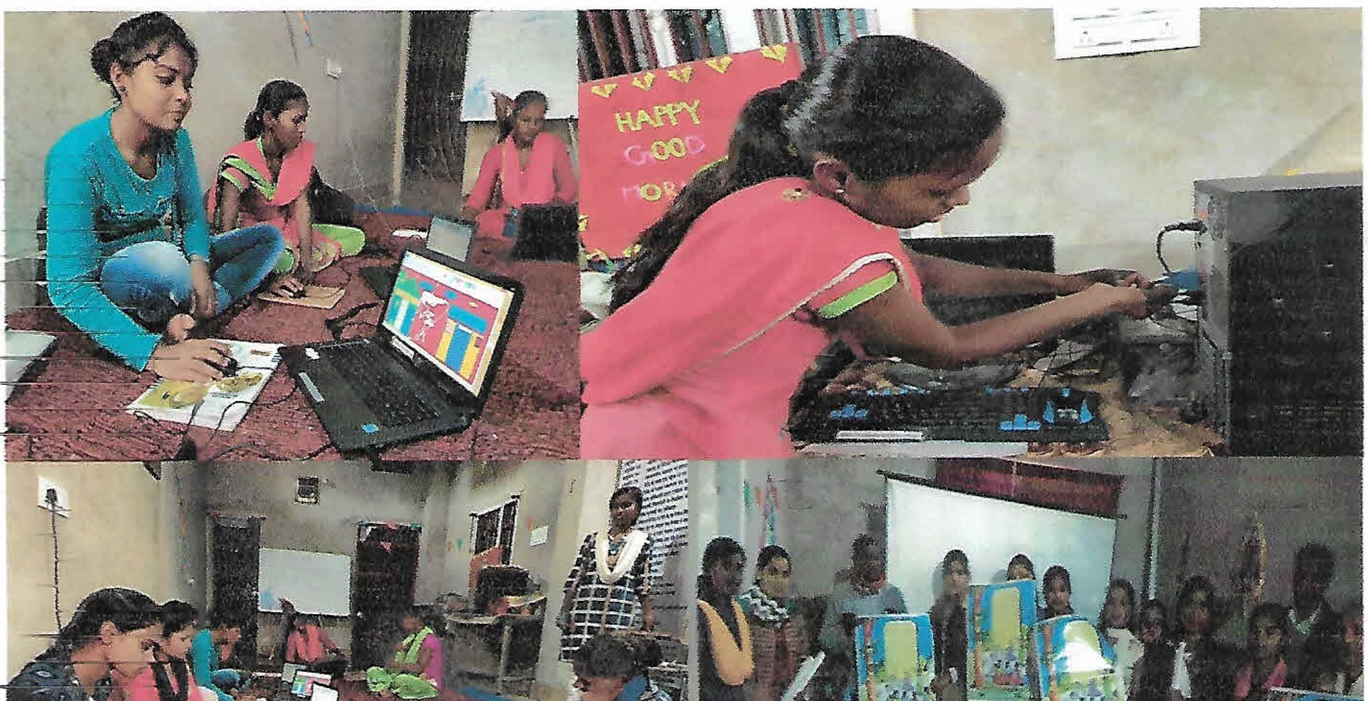

# महिला अधिकार व महिला कानून सहयोग हेतू कार्यक्रम

संस्था द्वारा आली के साथ मिल कर पलामू के सतरबवा, मेदिनीनगर, विश्रामपुर और चैनपुर प्रखंड में महिलाओं को महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कानूनी जानकारी और मदद दी जा रही है। इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए थाना तथा महिलाओं को लेकर न्यायिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें न्याय दिलाने में मदद करते है। संस्था इन चिन्ह प्रखंडों में अपने केस वर्कर के माध्यम से महिला हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं का केस अध्ययन कर न्यायिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करती है, ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। इसके साथ ही साथ माहिलाओं को महिला हिंसा व महिला अधिकार कानून के प्रति जागरूक करने के लिए गांव स्तर पर बैठक कर उन्हें कानूनी जानकारी भी दी जा रही है। इसके अलावा लातेहार एवं गढ़वा प्रखंड में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 40 केस घरेलू हिंसा और महिला प्रताडना, छेड़छाड़, डायन प्रताड़ना सहित कई केस आये। संस्था केस वर्कर के मदद से महिलाओं को कनूनी सलाह एवं सहयोग किया। वहीं दूसरी और पलामू प्रमंडल के तीनों जिला लातेहार, गढ़वा व पलामू में हुए महिला अत्याचार से संबंधित कई मामले में फैक्टफाइडिंग संबंधित विभाग व संस्थानों के साथ पत्रचार कर मदद की। इसके साथ ही साथ संस्था बाल अधिकार को लेकर भी मदद की गई।

# केरल आपदा के लिए संस्था की ओर से सहयोग

केरल में आये प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के मदद लिए संस्था ने पहल शुरू किया, इस पहल के द्वारा इप्टा साथ मिलकर चंदा एकत्रित कर केरल भेजा गया, वहीं संस्था के स्टाफ ने भी अपने दो दिनों का मानदेय देने का फैसला किया । संस्था ने करीब 16000 रुपये केरल के बाढ़ प्रभावित परिवारों को चेक के माध्मय से केरल भेजने का फैसला लिया। संस्था के कोषाध्यक्ष जेम्स हेंरेज ने पटना में आयोजित एक समारोह में केरल इप्टा के राज्य सचिव को चेक सौंपा।

# संस्था के अन्य गतिविधि / कार्यक्रम

- संस्था नरेगा, पानी, दलित आदिवासी व महिलाओं के समस्याओं को लेकर डक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। संस्था यह प्रयास करते हुए मुद्दा आधारित डक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से लोगों के हक व न्याय के लिए जारूक करें, इसके प्रयास के लिए हमेशा आगे कारते रहेगी।
- संस्था आदिवासी, दलित व महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार व आजीविका के लिए कार्यक्रम को लागू व संचालन करने का अन्य संस्थाओं व संगठनों के माध्यम से करते आ रही है।
- संस्था द्वारा झारखंड में अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना के बारे में दलित व आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन में अपने सहयोगी संस्था एनसीडीएचआर के सहयोग से झारखंड के विभिन्न जिलों में व राज्य के अन्य इलाकों किया जा रहा है।
- आदिम जनजाति को उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समय–समय पर संस्था द्वारा जागरूकता तथा प्रशिक्षण व बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से आदिम जनजाति परिवारों को उनके अधिकार व उसे हासिल करने के लिए कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी संस्था द्वारा दी जाती रही है।
- यूआरआई के साथ जुड़ कर समाज में शांति व सद्भावना बनाए रखने के लिए संस्था हमेशा प्रयास करते रही है।
- मानव तस्करी के खिलाफ के संस्था जागरूकता कार्यक्रम के साथ बच्चों को उनके मां–बाप तक पहुचाने व मिलाने के लिए अपना एडवोकेसी कार्यक्रम मानव तस्करी के लिए काम करने वाले संगठनों के नेटवर्क कार्यक्रम का संचालन करते रही है।
- संस्था द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों को लेकर प्रशिक्षण सह कार्यशाला व अन्य कार्यक्रमों का संचालन करती रही है।
- वन विभाग द्वारा टाईगर प्रोजेक्ट एरिया के बफर जोन में महुआडांड प्रखंड के 18 गांवों में ईको विकास समिति के लिए विलेज लेवल डेवल्पमेंट प्लान किया गया। कार्यक्रम के द्वारा 18 गांवों में ईको विकास समिति के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए तीनों के लिए कार्यक्रम में चलाये गये। इस कार्यक्रम में ग्राम सभा के साथ मिटिंग और गांव के विकास के लिए जंगल को केंद्रित कर योजनाओं को चयन किया गया तथा गांव के संसाधन की पहचान भी गयी, उसके बाद योजनाओं का समेकन कर एक गांव के लिए बुक तैयार की गयी। जिससे वन विभाग इन योजनाओं को अपने ईडीसी के माध्यम से उन गांव में लागू करेगी, जिससे की जंगल पर से दबाव को कम किया जा सके।
- मनिका के प्रखंड में 22 दिसंबर 2017 को मनरेगा से 100 दिन काम पूरा करनेवाले मजदूरों को संस्था के द्वारा सम्मनित किया गया। इसके मौके पर लातेहार जिला के डीडीसी अनिल कुमार सिंह उपस्थित थे, मजदूरों को मनरेगा में बेहतर कार्य करने वाले मजदूरों को उपाविकास आयुक्त अनिल कुमार सिंह व संस्था के प्रतिनिधियों ने कुदाल और टोकरी देकर मजदूरों को सम्मानित किया।
- मनरेगा को बेहतर क्रियान्वयन को लेकर झारखंड सरकार द्वारा स्थापित सामजिक अंकेक्षण इाकई को मजबूत करने तथा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए संस्था वह संस्था के पदाधिकारी मदद करते रहे हैं।
- राशन और पेंशन की पहुच आम जनों तक हो इसके मनिका के विभिन्न गांवों सर्वे व जनसुवाई की प्रक्रिया जिला के साथ मिलकर चलाते रही है।
- संस्था द्वारा महिला दिवस व मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष मनायी जाती है।

# संस्था की गतिविधियां मिडिया में

दैनिक भास्कर | रांची, मंगलवार 24 अप्रैल, 2018 | 15

## वनाधिकारी कानून में गड़बड़ी के विरोध में रैली

प्रबिलक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी कंपनियों के माध्यम से जंगल के व्यावसायीकरण का विरोध

## प्रतिपूरक वनरोपण कानून को वापस लेने की मांग

## रैली निकाल उपायुक्त को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन

05 • रांची • मंगलवार • 24 अप्रैल 2018 | हिन्दुस्तान

## वनाधिकार कानून को लेकर निकाली रैली

24 अप्रैल 2018 | 2 | दैनिक जागरण रांची | पलामू जागरण

## संगठनों ने रैली निकाल मांगा अधिकार

विभिन्न संगठनों ने आदिवासी-वनवासी को अधिकार से वंचित करना बंद करो का लगाए नारे

रांची, शुक्रवार 14.12.2018 | प्रभात खबर | 06

### जन सुनवाई. मनिका में 325 आदिम जनजाति परिवारों का किया गया सर्वे

# कई परिवारों के पास खाने को कुछ नहीं

जन सुनवाई में मंच पर मौजूद प्रो ज्यां द्रेज व अन्य तथा संबोधित करते जेम्स हेरेंज.

जनसुनवाई को संबोधित करते वक्ता.

**कम राशन देने, आधार कार्ड नहीं बनने का मामला प्रकाश में आया**

प्रतिनिधि ▶ लातेहार/मनिका

आदिम जनजाति समुदाय के लोगों की समस्याओं को लेकर जिले के मनिका प्रखंड परिसर में बुधवार को जनसुनवाई अनुमंडल पदाधिकारी जय प्रकाश झा की अध्यक्षता में हुई. यह आयोजन स्थानीय नरेगा सहायता केंद्र और ग्राम स्वराज मजदूर संघ, मनिका के संयुक्त सहयोग से किया गया. जन सुनवाई के ज्यूरी सदस्यों में एसडीओ श्री झा के अलावा अर्थशास्त्री प्रो ज्यां द्रेज, अशर्फीनंद प्रसाद, अफजल अनीस, जवाहर मेहता, असरिता तिर्की व तारामनी साहू शामिल थे. कार्यक्रम का संचालन जेम्स हेरेंज ने किया. जन सुनवाई में मनिका प्रखंड की विभिन्न पंचायतों से आये परहिया आदिम जनजाति समूह के लोगों ने वृद्धा पेंशन, राशन व विधवा पेंशन आदि में हो रही समस्याओं को लेकर अपनी बातों को रखा.

सामाजिक कार्यकर्ता महावीर ने बताया कि मनिका के छह ग्राम पंचायतों के 15 गांवों के आदिम जनजाति समूहों के बीच नरेगा सहायता केंद्र और ग्राम स्वराज मजदूर संघ, मनिका ने संयुक्त सहयोग से युवाओं के दल के साथ नवंबर में एक सर्वे किया था. इस सर्वे में उन्होंने देखा है कि कई परिवारों के पास खाने को कुछ नहीं है और वे कई दिनों से भूखे हैं. उनके पास राशन नहीं है. लोगों से उनका आधार कार्ड व राशन कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत मांगे जाते हैं.

### 42 फीसदी लोगों के पास आधार नहीं

सर्वे में शामिल युवा अंकिता ने कहा कि मनिका के 325 परिवारों का दौरा किया गया. सर्वे में उन्होंने पाया कि 42 प्रतिशत लोगों के पास आधार नहीं है. जनसुनवाई के दौरान उचवाबाल गांव की फुलिया देवी ने कहा उन्हें सही तरीके से राशन नहीं दिया जा रहा है. मौके पर डीलर दिनेश राय और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को बुलाया गया. डीलर दिनेश राय ने टीना से चावल देने की बात से इनकार किया. लेकिन आदिम जनजाति समूह की महिलाएं अपनी बात पर डटी रहीं.

### शिक्षक ने बच्चों का आधार अपने पास रखा

जन सुनवाई में दूसरी बड़ी समस्या आदिम जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की आयी. शिक्षक कृष्णा प्रसाद द्वारा बच्चों का बैंक खाता व आधार अपने पास रख लेने का मामला सामने आया. फुलमती परहिया ने बताया कि उनके तीन बच्चे स्कूल में हैं. उनके गुरु कृष्णा ने उनका खाता और आधार अपने पास रख लिया था. बच्चों को आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है.

### डाकिया योजना का लाभ नहीं देने पर होगी कार्रवाई

अनुमंडल पदाधिकारी जय प्रकाश झा ने कहा कि आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को डाकिया योजना का लाभ नहीं देने पर डीलरों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने अंगूठा का निशान नहीं मिलने पर अपवाद रजिस्टर के माध्यम कार्डधारियों को राशन देने एवं डाटा जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में जिन राशन डीलरों के खिलाफ शिकायत मिली है, जांच कर कार्रवाई की जायेगी. शिक्षक कृष्णा राम पर कार्रवाई की जायेगी. जनसुनवाई कार्यक्रम में मनिका प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार, अंचल पदाधिकारी व एमओ के अलावा ग्राम स्वराज मजदूर संघ के कमलेश उरांव, महावीर परहिया, पचाठी सिंह, अमर दयाल सिंह, गजेंद्र सिंह, राहुल कुमार, दिलीप कुमार, सामाजिक अंकेक्षण इकाई से आसरिता तिर्की, बलराम उरांव, मिथिलेश कुमार तथा सर्वे में शामिल सभी छात्र-छात्राएं सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष शामिल थे.

**सरकार से क्या उम्मीद करें**

यदि सरकार दिनेश राय जैसे भ्रष्ट पीडीएस डीलरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो और उससे क्या उम्मीद की जा सकती है.

ज्यां द्रेज, अर्थशास्त्री

Brand Awareness
Business Expression
Entrepreneurship

14-12-2018



### मनिका प्रखंड कार्यालय परिसर में जनसुनवाई में राशन, पेंशन आदि के मुद्दे छाए

# आदिम जनजातियों को नहीं मिल रही हैं सरकारी सुविधाएं: ज्यां द्रेज

मनिका प्रखंड में गुरुवार को जनसुनवाई में मौजूद एसडीएम, प्रो. ज्यांद्रेज व अन्य।

मनिका में गुरुवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण।

लातेहार | प्रतिनिधि

मनिका प्रखंड कार्यालय परिसर में आदिम जनजाति को सरकार द्वारा दी जा रही बुनियादी सुविधा को लेकर प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई एसडीएम जयप्रकाश झा की अध्यक्षता में हुई। मौके पर प्रो. ज्यांद्रेज ने कहा कि आदिम जनजाति को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। आदिम जनजाति को न तो पेंशन मिल रहा है और न ही राशन। उन्होंने कहा कि कई प्रजाति के लोगों को आधार कार्ड भी नहीं बना है, जिसके कारण उन्हें सरकारी सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है। मौके पर राशन कम देने का मामला आया। इस पर एमओ ने कहा कि पैकेट बंद खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है, परंतु 35 किलो तौल कर दिया जा रहा है।

### आधार से लिंक नहीं होने से 28 लोग पेंशन से वंचित

जनसुनवाई में एक सर्वे रिपोर्ट भी ज्यूरी को दिया गया। मौके पर जेम्स हेरंज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दो मई 2003 में निर्देश दिए थे कि आदिम जनजाति परिवारों को राशन कार्ड का अधिकार है। सर्वे के अनुसार 59 ऐसे घर मिले, जो राशन कार्ड से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में सभी आदिम जनजाति परिवार कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हकदार हैं। यदि वृद्धावस्था पेंशन या विकलांगता पेंशन न हो तो आदिम जनजाति पेंशन के तहत एक विशेष पेंशन के वे हकदार हैं। लेकिन 36 प्रतिशत लोगों के पास किसी तरह का पेंशन नहीं है उन्होंने कहा कि सर्वे में 28 पेंशनधारी आधार संबंधित समस्याओं के कारण अपने पेंशन से वंचित हैं।

### अब तक लागू नहीं हो सकी डाकिया प्रणाली

मनिका में डाकिया प्रणाली के तहत, पीडीएस डीलरों के शोषण से बचाने के लिए मासिक खाद्य राशन का आदिम जनजाति परिवारों को 35 केजी बंद पैकेट राशन उनके घर तक पहुंचाया जाना था। मगर यह अबतक लागू नहीं हो सका है इस विषय पर एमओ और ज्यूरी मेम्बर के बीच काफी नोक-झोंक भी हुई।

दिलेश्वरी देवी ने कहा कि उनका आधार से नहीं जुड़ने के कारण उनका पेंशन एक साल से बंद है। उन्होंने कहा कि वे पेंशन पर निर्भर थी और अब असहाय महसूस कर रही हैं। वहीं मनिका की सुनीता कुंवर ने बताया उनके पास राशनकार्ड भी नहीं आवेदन में मदद चाहती थी, लेकिन नामुदाग के प्रज्ञा ऑपरेटर ने उनसे दो हजार रुपए मांगे।

उच्चाबल विद्यालय के पारा शिक्षक कृष्णा राम पर नामांकित बच्चों के आधार [illegible]

एसडीएम ने कहा कि जनसुनवाई में आए हुए मामले को जांच कर कार्रवाई की जाएगी मौके पर बीडीओ सन्तोष कुमार, सीओ नन्द कुमार राम, मिथिलेश कुमार, जवाहर मेहता अर्सिता तिर्की तारामणि [illegible]



# लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के लिए महिलाएं आयें आगे : तारामणि

मेदिनीनगर। हिंसा, नफरत और सांप्रदायिकता के खिलाफ शांति, प्रेम और भाईचारा के लिए चार्टे अमन की कारवां, समानता यात्रा पलामू पहुंची। चार्टे अमन की समानता यात्रा को पलामू के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संगठनों ने स्वागत किया।

समानता यात्रा के जत्था व पलामू सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक संगठन के द्वारा कः मुहान से बैंक से शांति मार्च निकाली गयी, जो आईएमए परिसर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में तब्दील हो गयी। कार्यक्रम में समानता यात्रा की साथी तारामणी ने कहा कि आज संविधान खतरे में हैं, इसे बचाने के लिए आन्दोलनों के साथ महिलाओं को भी आगे आने की जरूरत है। गुजरात के दंगे को साझा करते हुए शेख अंजुमन खानों ने कहा कि अभी के समय में खास कर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के साथ-साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए भी तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि हमने गुजरात दंगे में महिलाओं के साथ डटकर मुकाबला कर कई बहु-बेटियों के आबरू को लुटने बचाया था। उन्होंने कहा कि अपनी परंपरा को बचाते हुए मजबूती

पलामू पहुंची समानता यात्रा, कई संगठनों ने किया स्वागत

समानता यात्रा के दौरान प्रदर्शन करतीं महिलाएं।

एकता को मजबूत करने हिन्दू-मुस्लिम, सिख, ईसाई के कौमी एकता को बनाना जरूरी है। चार्टे अमन की कारवां द्वारा आयोजित जनसंवाद को यात्रा में शामिल शहनाज चौधरी, कौसर विजारत, शकुंतला ठाकुर, शिलागवाली, अमनदीप कौर, बी रजनी, ज्योति, मंजुला बेन, भावना, नियाजो मलिक, रुखसाना कुरैशी, धरमअमित, प्रताप सिंह नेगी सहित समानता यात्रा के साथियों ने अपनी-अपनी बातें रखीं। वहीं पलामू से मिशन समृद्धि के सोशल शीवास्तव, आप पार्टी से चंदना कुमारी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में इप्टा के कलाकारों ने कई जन गीतों की प्रस्तुति की। हम होंगे कामयाबी गीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मौके पर झारखंड नरेगा वॉच के जेम्स हेरेंज, भोजन का अधिकार अभियान से जवाहर मेहता, सुनील नाथ पैकरा, धीरज कुमार, इप्टा के शैलेंद्र सिंह, रविशंकर, दिनेश, प्रेम प्रकाश, पप्पू जी, शशि पांडेय, दिहाड़ी मजदूर यूनियन के राजीव कुमार, झारखंड मिल्ली फोरम अली इमाम, कुम्हारठाई के पूनम विश्वकर्मा, एलसीडीएस आर से मिथिलेश कुमार, पूजा कुमारी, एप्रेलिया लकड़ा, अंकित, हर्ष कुमार सहित काफी संख्या में लोग शामिल थे।

## अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने निकाला मार्च, कहा

# 'महिलाओं पर जुल्म व शोषण जारी है'

मेदिनीनगर (प्रेसं)। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पलामू जिला स्कूल मैदान से कचहरी परिसर तक महिलाओं ने मार्च निकाला। यह मार्च शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कचहरी परिसर में एक सभा में तब्दील हो गया। कार्यक्रम का आयोजन झारखण्ड राज्य विद्यालय रसोईया संघ, महिला संगठन ऐपवा सोसाइटी फॉर [illegible] एंड डवलपमेंट और महिला अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले किया गया था। कार्यक्रम में शामिल महिलाएं 'लड़ कर लेंगे [illegible]', रसोइया व स्कीम वर्कर को करो स्थायी' [illegible] ये सरकार झूठी है, [illegible] जैसे नारे लगा रही थीं। कार्यक्रम [illegible] महिलाओं को संबोधित करते हुए [illegible] ने कहा कि सरकार और [illegible] जितना ढिंढोरा पिट ले, लेकिन महिलाओं पर आज भी बेइंतहा जुल्म और शोषण जारी है। महिलाएं घर से लेकर सड़क और संसद तक भेदभाव और उत्पीड़न झेल रही हैं। उनके महत्व और काम का कहीं भी मोल नहीं हो रहा है। सरकारों द्वारा आज भी महिला मजदूरों वर्करों का शोषण किया जा रहा है। उन्हें नाम मात्र के मानदेय पर हजारों महिलाओं को नौकरी की तरह खटाया जा रहा है। यह शर्मनाक हालात है। रसोईया, सहिया, सहायिका आंगनबाड़ी वर्कर, जल सहिया, आशा वर्कर से मोदी व रघुवर सरकार बंधुआगिरी करवा रही है। महिलाओं के प्रति हिंसा, हत्या एवं बलात्कार की घटना बेतहाशा ढंग से बढ़ रही है। बेटी पढ़ाव, बेटी बचाव का नारा लगाने वाले मोदी सरकार बहन-बेटियों के लिए आखिर 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल क्यों नहीं बना रही है? सभी वक्ताओं ने महिलाओं से आगे बढ़ कर अपने हक अधिकार के संघर्ष करने की अपील की। कार्यक्रम की अगुवाई रसोईया संघ की जिला सचिव अनीता देवी, उपाध्यक्ष संगम देवी, ललिता देवी, [illegible] के अध्यक्ष [illegible] देवी, [illegible] के पुष्प देवी, महिला अधिकार संघर्ष समिति के सुषमा तिर्की, पूनम विश्वकर्मा, एंग्रेसिया लकड़ा, छात्र संगठन आइसा के नेता दिव्य भगत ने भी संबोधित किया।

## वाईएसएन महिला कॉलेज में महिला सशक्तीकरण दिवस मना

मेदिनीनगर (प्रेसं)। योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी प्राचार्य अंजू कुमारी और अन्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर किया। मौके पर डा. सुप्रिया ने कहा कि महिला अपने हक और अधिकार के प्रति सजग रहें। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कानून बनाये हैं। जरूरत है कानून को बारीकी से अध्ययन करने का। उन्होंने कहा कि शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। जब महिला समाज शिक्षित होगी तब महिलाओं पर आये दिन होने वाले उत्पीड़न स्वतः कम हो जायेगा। डा. सुप्रिया ने वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की तथा सुधार के उपाय बताये। डा. [illegible] चटर्जी ने महिलाओं की शिक्षा तथा उनमें निर्णय की क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया। डा. राकेश रौशन ने महिलाओं के विकास के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौके पर डा. कंचन झा, डा. विजय प्रसाद, डा. सोमा, डा. मीना, डा. विकास, डा. प्रीति टोप्पो, मोनालिसा आदि उपस्थित थीं।

## महिला कर्मचारियों को किया गया सम्मानित

मेदिनीनगर (प्रेसं)। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डालटनगंज-मंडरा के बीच के महिला कर्मचारियों के लिए डालटनगंज स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सोनाली सिंह, [illegible] कुमारी, पुष्पा कुमारी, अनिता देवी, [illegible] कुमारी, [illegible] एक्का, प्रिया कुमारी, आशा देवी, [illegible] इत्यादि महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहायक मंडल अभियंता (कर्षण-वितरण) संजय कुमार, यातायात निरीक्षक, अरविंद कुमार सिन्हा, स्टेशन प्रबंधक अखिल कुमार तिवारी, संतोष कुमार तिवारी, संतोष कुमार दुबे आदि शामिल होकर महिलाओं को उनके अधिकार एवं रेल द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। महिला कर्मचारियों के बीच ही एक महिला सशक्तीकरण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

---

दैनिक जागरण | 06
रांची, 24 मार्च 2019

## पलामू से मेरा देश मेरा वोट व मेरा मुद्दा अभियान शुरू

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर : शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर शनिवार को जिले के कई संगठनों ने मेरा वोट व मेरा मुद्दा अभियान की शुरुआत। इसी के साथ अगले 60 दिनों तक इस अभियान के तहत पलामू लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जाएगा। इससे पहले एक परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें झारखंड नरेगा वॉच के राज्य संयोजक जेम्स हेरेंज ने कहा कि देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, बावजूद इसके राजनीति पार्टियों के बीच जनता के अहम मुद्दे गायब हैं। ऐसे में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। आइसा के छात्र नेता दिव्य भगत ने कहा कि महिलाओं के मुद्दे बिल्कुल गायब हो चुके है। कहा कि सत्ताधारी पार्टियां महिलाओं के सत्ता में पहुंचने नहीं देना चाहती है। इसे लेकर महिला आरक्षण बिल लोक सभा में लंबित है। राइट टू एजुकेशन फोरम पलामू के गणेश रवि ने कहा कि देश हुक्मरानों ने साबित कर दिया है कि जनता के मुद्दे कुछ भी नहीं है ऐसे में वह समय आ गया है कि जनता अपनी वोट कि ताकत से जवाब दें। एनसीडीएचआर के मिथिलेश कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों से सवाल करने का जनता को पूरा अधिकार है। चुनाव में आदिवासियों व आदिवासी समुदाय के जल, जंगल व जमीन तथा उनके जीने के मुद्दे गायब हो गये है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जमीनी स्तर के जनता के मुद्दे गौन हो जाते हैं। मौके पर भारतीय आदिवासी महासभा के मिलियानुस केरकेट्टा, महिला अधिकार संघर्ष समिति की एंग्रेसिया लकड़ा, पूजा कुमारी, पूनम विश्वकर्मा, प्रेम प्रकाश सहित कई संगठन के लोग थे।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (c) | has not been utilised for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof | No |

**II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Whether any part of the income or property of the **trust** was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person)? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any. | No |
| 2. | Whether any part of the income or property of the **trust** was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any. | No |
| 3. | Whether any payment was made to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, give details | No |
| 4. | Whether the services of the **trust** were made available to any such person during the previous year? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any | No |
| 5. | Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the **trust** during the previous year from any such person? If so, give details thereof together with the consideration paid | No |
| 6. | Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the **trust** during the previous year to any such person? If so, give details thereof together with the consideration received | No |
| 7. | Whether any income or property of the **trust** was diverted during the previous year in favour of any such person? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted | No |
| 8. | Whether the income or property of the **trust** was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner? If so, give details | No |

**III. INVESTMENTS HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN CONCERNS IN WHICH PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST**

| S. No | Name and address of the concern | Where the concern is a company, number and class of shares held | Nominal value of the investment(₹) | Income from the investment(₹) | Whether the amount in col. 4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year-say, Yes/No |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Total | | | | |

Place **DALTONGANJ**
Date **21/09/2019**

Name **JAY KUMAR SHARMA**
Membership Number **[illegible]**
FRN (Firm Registration Number) **[illegible]**
Address **JAY AND ASSOCIATES G D C OMPLEX, NEAR SADDIK CH OWK, NAVKETAN CINEMA ROAD DALTONGANJ - 822101 JHARKHAND**

| | |
|---|---|
| Form Filing Details | |
| Revision/Original | Original |

# Multi Art Association (MAA)

**Reg. Off. : Maa Bhawan, Panki Road, Redma, Daltonganj - 822102**
**Mailing Address : Bhudhabdih, Near Bazar Smiti, Sudna, Daltonganj - 822102**

**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31, MARCH 2019**

| LIABILITIES | | Amount | ASSETS | Amount |
|---|---|---|---|---|
| **Capital Fund** | | | **Fixed Assets** | |
| Opening Balance | 16,73,514.25 | | - Inverter & Battery (At Cost) | 40,000.00 |
| Add: Surplus | 4,58,651.50 | 21,32,165.75 | - Fixed Assets - FCRA | 1,41,011.00 |
| | | | - Fixed Assets - General Account | 10,25,942.44 |
| **Current Liabilities** | | | **Current Assets** | |
| Loan from Members | | 1,23,812.00 | Loan & Advance | 57,257.50 |
| Expenses Payable | | 19,39,318.50 | Security Deposit | 5,000.00 |
| TDS Payable | | 8,000.00 | SPWD for Lac | 7,000.00 |
| Audit Fee Payable | | 20,000.00 | ITDA Latehar | 29,250.00 |
| | | | Grant Receivbale | 18,05,302.00 |
| | | | Bank Account | |
| | | | - *Project : CFT* | 32,561.50 |
| | | | - *Project : Feminist Approach to Technology (FAT)* | 9,323.25 |
| | | | - *Project : Global Greengrants Fund (GGF)* | NIL |
| | | | - *Project : MANTHAN* | 4,200.00 |
| | | | - *Project : UUHIP* | 8,53,946.50 |
| | | | - *General Account* | 2,11,573.00 |
| | | | Cash in Hand | 929.06 |
| | | 42,23,296.25 | | 42,23,296.25 |

As per our report on even date
For JAY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
SD/-
(Jay Kumar Sharma)
Proprietor

Place: Daltonganj
Date: September 21, 2019

UDIN : 19416339AAAAAK5985

## Multi Art Association (MAA)

Reg. Off. : Maa Bhawan, Panki Road, Redma, Daltonganj - 822102
Mailing Address : Bhudhabdih, Near Bazar Smiti, Sudna, Daltonganj - 822102

### CONSOLIDATED RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31, MARCH 2019

| RECEIPTS | Amount | PAYMENT | Amount |
|---|---|---|---|
| To **Opening Balance** | | By Payments | |
| - Cash at Bank | 7,72,223.25 | **Project : CFT** | |
| - Cash in Hand | 202.00 | - Outstabding Expenses Paid | 7,58,820.00 |
| | | - Loan from Members | 8,362.00 |
| To **Receipts** | | - Honoranum to LRPs/Labour Group Leaders | 90,000.00 |
| **Project : CFT** | | - Social Mobilizer/Cluster Incharge | 91,200.00 |
| - Grant Received from S.P.W.D. Ranchi | 22,13,400.00 | - Social Mobilizer | 19,66,900.00 |
| - Grant Received (Recenvbale) | 7,60,000.00 | - Recurring Expenditure Of CFT | 38,724.50 |
| - Bank Interest | 3,304.00 | | |
| | | **Project : Feminist Approach to Technology (FAT)** | |
| **Project : Feminist Approach to Technology (FAT)** | | - Purchase of Fixed Assets | 40,000.00 |
| - Grant Received | 1,05,629.00 | - Techh Center Associate | 75,000.00 |
| | | - Staff Support - Programme | 15,000.00 |
| **Project : Global Greengrants Fund (GGF)** | | - Support Staff- Accountant | 6,000.00 |
| - Bank Interest | 8,244.00 | | |
| | | **Project : Global Greengrants Fund (GGF)** | |
| **Project : MANTHAN** | | - Administrative cost | 44,958.00 |
| - Grant Received | 57,000.00 | - Advocacy, District and Block Level Right Based Ac | 31,018.00 |
| | | - Awarness Programme for Right Based Act. | 90,705.00 |
| **Project : UUHIP** | | - Community Level Meeting NREGA,FRA,NFSA AC | 23,046.00 |
| - Grant Received | 13,91,032.00 | - Facilitation in Gram Sabha | 20,250.00 |
| - Bank Interest | 19,221.00 | - FRA Training for PRI Members, Gram Pradhan an | 40,000.00 |
| | | - Staff Support (Part Time) | 81,242.00 |
| **General Acount** | | - Support for Claim Generation IFR and CFR | 47,718.00 |
| Donation & Subscirption | 11,331.00 | - Training on Gram Sabha Right Based Act and PES | 20,000.00 |
| EACO Vikash | 60,000.00 | | |
| Feminist Approach to Technology Society | 15,000.00 | **Project : MANTHAN** | |
| Bank Interest | 11,081.00 | - Printing & Stationey | 3,899.00 |
| Loan from Members | 88,000.00 | - Salay to Staff | 48,600.00 |
| | | - Travelling Expenses | 301.00 |
| | | | |
| | | **Project : UUHIP** | |
| | | - Loan & Advances | 57,257.50 |
| | | - Communtity Meeting for Cappicity Bulding | 56,803.00 |
| | | - Traning Program /work Shop | 25,442.00 |
| | | - Travel | 11,154.00 |
| | | - Comminity Mobaligetion | 75,000.00 |
| | | - Project Condacting Charge Honorariumto Resourc | 2,00,000.00 |
| | | - Field Staff | 1,19,500.00 |
| | | - Account Support | 10,000.00 |
| | | - Printing & Stationery | 1,150.00 |
| | | | |
| | | **General Acount** | |
| | | Bank Charge | 5,626.50 |
| | | Central Secretry | 16,261.00 |
| | | General Expenses | 1,64,082.00 |
| | | YWLP Programe | 11,331.00 |
| | | Palt for Land Purchase | 89,783.44 |
| | | Audit fee Payable | 18,000.00 |
| | | | |
| | | **Closing Balance** | |
| | | - Cash at Bank | 11,11,604.25 |
| | | - Cash in Hand | 929.06 |
| | 55,15,667.25 | | 55,15,667.25 |

As per our report on even date
For JAY & ASSOCIATES
Chartered Accountants

(Jay Kumar Sharma)
Proprietor

Place: Daltonganj
Date: September 21, 2019

UDIN : 19416339AAAAAK5985

# Multi Art Association (MAA)

Reg. Off. : Maa Bhawan, Panki Road, Redma, Daltonganj - 822102
Mailing Address : Bhudhabdih, Near Bazar Smiti, Sudna, Daltonganj - 822102

## CONSLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31, MARCH 2019

| EXPENDITURE | Amount | INCOME | Amount |
|---|---|---|---|
| To **Direct Expenses** | | By **Direct Incomes** | |
| **Project : CFT** | | **Project : CFT** | |
| Honorarium to LRPs/Labour Group Leaders | 3,84,000.00 | Grant From S P.W.D | 37,33,496.00 |
| Social Mobilizer/Cluster Incharge | 1,63,200.00 | Interest On Bank | 3,304.00 |
| Engneer/Cluster Incharge | 2,40,000.00 | | |
| Technical Assistant/animator | 7,80,000.00 | **Project : Feminist Approach to Technology (FAT)** | |
| Travel (for All Staff) | 1,20,000.00 | Grant Received | 1,05,629.00 |
| INRM Partner | 2,46,400.00 | | |
| Social Mobilizer | 8,20,800.00 | **Project : Global Greengrants Fund (GGF)** | |
| Engineer ( Civil Engineer) | 3,42,400.00 | Interest On Bank | 8,244.00 |
| Technical Assistant/Participarty Plann | 2,88,000.00 | | |
| Travel (for All Staff) | 1,92,000.00 | **Project : MANTHAN** | |
| Recurring Expenditure Of CFT | 1,60,000.00 | Grant Received | 57,000.00 |
| **Project : Feminist Approach to Technology (FAT** | Nil | **Project : UUHIP** | |
| | | Grant From | 13,91,032.00 |
| **Project : Global Greengrants Fund (GGF)** | | Interest On Bank | 19,221.00 |
| Administrative cost | 44,958.00 | | |
| Advocacy, District and Block Level Right Based Act | 31,018.00 | **General Acount** | |
| Awarness Programme for Right Based Act.(Postar,B | 90,705.00 | Donation & Subscirption | 11,331.00 |
| Community Level Meeting NREGA,FRA,NFSA ACT. | 23,046.00 | EACO Vikash | 60,000.00 |
| Facilitation in Gram Sabha | 20,250.00 | Feminist Approach to Technology Society | 15,000.00 |
| FRA Training for PRI Members, Gram Pradhan and | 40,000.00 | Bank Interest | 11,081.00 |
| Staff Support (Part Time) | 81,242.00 | | |
| Support for Claim Generation IFR and CFR | 47,718.00 | | |
| Training on Gram Sabha Right Based Act and PESA | 20,000.00 | | |
| **Project : MANTHAN** | | | |
| Travelling | 301.00 | | |
| Salary to Staff | 92,400.00 | | |
| Printing & Stationery | 3,899.00 | | |
| **Project : UUHIP** | | | |
| Communtity Meeting for Cappicity Bulding | 56,803.00 | | |
| Traning Program /work Shop | 25,442.00 | | |
| Travel | 11,154.00 | | |
| Comminity Mobaligetion | 75,000.00 | | |
| Project Condacting Charge Honorariumto Resource | 2,00,000.00 | | |
| Field Staff | 1,27,500.00 | | |
| Account Support | 10,000.00 | | |
| Printing & Stationery | 1,150.00 | | |
| **General Acount** | | | |
| Bank Charge | 5,626.50 | | |
| Central Secretry | 16,261.00 | | |
| General Expenses | 1,64,082.00 | | |
| YWLP Programe | 11,331.00 | | |
| Audit Fee | 20,000.00 | | |
| To Surplus | 4,58,651.50 | | |
| | 54,15,338.00 | | 54,15,338.00 |

As per our report on even date
For JAY & ASSOCIATES
Chartered Accountants

(Jay Kumar Sharma)
Proprietor

Place: Daltonganj
Date: September 21, 2019

UDIN : 19416339AAAAAK5985

# Multi Art Association ( MAA )

**Regd. Office :-** Maa Bhawan Panki, Road, Redma, Daltongnaj, Palamu
**Head office / Mailing Address :-** H.No. – 153/A/1, Street :- Budhandih, Near Bazar Samiti, Sudna, Daltonganj, Palamu, Jharkhand-822102, Mob. No.- 09431193202, 09852910778
**E-mail Id :-** maa.palamu@gmail.com, www.maango.org